60

संख्याः 1099 /XVIII(II)/2011–1(118)/2010

प्रेषक,

पी0सी0 शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

राजस्व अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 2–9–2011

विषयः–**मै0 माउण्ट आबू ट्रस्ट, दिल्ली को तकनीकी शैक्षणिक पाठ्यक्रमों हेतु, ग्राम लिब्बरहेड़ी परगना मंगलौर, तहसील रूड़की जिला हरिद्वार में 4.536 है0 भूमि क्रय की अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, आपके पत्र संख्या–1082/भूमि व्यवस्था–2010, दिनांक–18.4.2011 के सन्दर्भ में, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, श्री राज्यपाल, मै0 माउण्ट आबू ट्रस्ट, दिल्ली को तकनीकी शैक्षणिक पाठ्यक्रमों हेतु, ग्राम लिब्बरहेड़ी, परगना मंगलौर, तहसील रूड़की जिला हरिद्वार में 4.536 है0 भूमि क्रय की अनुमति, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एंव उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2004 दिनांक 15–1–2004 की धारा–154(4)(3)(क)(III) के अन्तर्गत, तकनीकी शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा दी गयी अनापत्ति/सहमति एवं आपके द्वारा संस्तुत खसरा संख्याओं के अधीन निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैंः–

1– क्रेता धारा–129–ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलैक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से भूमि क्रय करने के लिये अर्ह होगा।

2– क्रेता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिए अपनी भूमि बन्धक या भार बन्धित कर सकेगा तथा धारा–129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभ को भी ग्रहण कर सकेगा।

3– क्रेता द्वारा क्रय की गयी भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसमें राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन (इलैक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग, कम्प्यूटर साईंस एवं इंजीनियरिंग, मैकेनिकल कैमिकल, सिविल इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम) के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गयी है यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था,उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा–167 के परिणाम लागू होंगे।

.....2

4– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जाति/जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति/जनजाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्रय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

5– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

6– शासन द्वारा दी गई भूमि क्रय की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी।

7– संस्था द्वारा भूमि विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से, 2 वर्ष के भीतर, भूमि का उपयोग, तकनीकी संस्थान की स्थापना हेतु कर लिया जायेगा।

8– संस्था द्वारा, भूमि के विक्रय विलेख की पंजीकरण की तिथि से, एक वर्ष के भीतर तकनीकी संस्थान की स्थापना हेतु, नियमानुसार, ए0आई0सी0टी0ई0 को आवेदन कर दिया जायेगा, जिसकी एक प्रति, तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन को भी उपलब्ध कराई जायेगी।

9– प्रश्नगत भूमि पर, भू उपयोग परिवर्तन के पश्चात ही, भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

10– किसी दशा में प्रस्तावित केताओं को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नही होगी एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य कोई भूमि पर कब्जा न हो इसके लिए भूमि क्रय के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाय।

11– भूमि का विक्रय अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नही होगा एवं ऐसी दशा में विक्रय किये जाने हेतु सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

12– योजना प्रारम्भ करने से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं से विधिक व अन्य अनापत्तियॉ/स्वीकृतियॉ प्राप्त कर ली जायेगी ।

13– सम्बन्धित आवेदक द्वारा भू–उपयोग करने से पूर्व सक्षम एजेन्सी (विनियमित क्षेत्र/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/विकास प्राधिकरण) से नियमानुसार अनापत्ति प्राप्त करनी होगी तभी वह भूमि का उपयोग निर्धारित कार्य हेतु कर सकेंगे।

14– उपरोक्त शर्तो/प्रतिबन्धों का उल्लघंन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए, इस शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर से जारी किये जाने वाले कार्यालय आदेश की एक प्रति अनिवार्य रूप से शासन को समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

/

(पी0सी0 शर्मा)
प्रमुख सचिव।

.....3

पृ0प0सं0–1099 /समदिनांकित 2011

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

2– मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून।

3– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।

4– श्री मनीष अरोड़ा, पुत्र श्री दीनानाथ अरोड़ा, निवासी, क्यू क्यू–303, पीतमपुरा, दिल्ली

5– निदेशक एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय।

6– प्रभारी, मीडिया केन्द्र उत्तराखण्ड सचिवालय।

7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।